



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:नियुक्ति

Reference No.:

Date:16/04/2003

अध्यक्ष , लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल

दिनांक 31 दिसंबर, 2002 को, श्री एच.ओ. सोनग, सदस्य (जीवन), आईआरडीए के सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न रिक्ति को ध्यान में रखते हुए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 एफ के निबंधनों के अनुसार निर्णय लिया गया कि आईआरडीए के सदस्य (एक्ज्यूअरी), श्री पी ए बालसुब्रमणियन अगली अधिसूचना / आदेश तक सदस्य बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 ए के अनुसार निगमित भारतीय बीमा संगठन की लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

(एन. रंगाचारी)
अध्यक्ष